न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर

पीठासीन अधिकारी श्री ओमप्रकाश विश्नोई, आर.ए.एस.

2023-423RAAJodhpur2023-203RTA223 Tejaram Vs Smt. Samadadevi etc

तेजाराम पुत्र ताराराम गोदपुत्र माणकराम उर्फ जोरावरसिंह जाति दर्जी, निवासी– ग्राम झिनझिनयाला, तहसील बालेसर, जिला जोधपुर।

अपीलाण्ट ...

ब
ना
म

1. श्रीमती समदादेवी पत्नी कन्हैयालाल जाति ब्राहमण,
2. रामचन्द्र पुत्र ताराराम
3. मोहनलाल पुत्र ताराराम
4. शिवलाल पुत्र ताराराम
   सभी जातियान् दर्जी, निवासीगण– झिनझिनयाला गोविंदा, तहसील बालेसर, जिला जोधपुर।
5. ग्राम पंचायत निम्बों का गांव, तहसील बालेसर, जिला जोधपुर।
6. सरकार जरिये तहसीलदार बालेसर, जिला जोधपुर।

रेस्पो. ...

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बरखिलाफ निर्णय एवं अंतिम डिक्री दिनांक 19 सितंबर 2023 सहायक कलक्टर बालेसर राजस्व मूल वाद संख्या 146/2011 श्रीमती समदादेवी बनाम रामचन्द्र इत्यादि

उपस्थित–
श्री पुष्पेन्द्रसिंह भाटी, अधिवक्ता–अपीलाण्ट
श्री कानाराम गोदारा, अधिवक्ता रेस्पोडेंट संख्या 1
श्री दयाराम चौधरी, राजकीय अधिवक्ता रेस्पो. संख्या 6

नि र्ण य

दिनांक : 06 फरवरी 2025

अपीलाण्ट ने सहायक कलक्टर बालेसर द्वारा राजस्व मूल वाद संख्या 146/2011 अनवान श्रीमती समदादेवी बनाम रामचन्द्र इत्यादि में पारित निर्णय एवं अंतिम डिक्री दिनांक 19 सितंबर 2023 के खिलाफ आलौच्य अपील अदालत हाजा के समक्ष राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 223 के तहत दिनांक 17 नवंबर 2023 को प्रस्तुत की है।

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि रेस्पोडेंट संख्या एक ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वादग्रस्त भूमि खसरा नं. 55 रकबा 0.06 बीघा, खसरा नं. 56 रकबा 49.19 बीघा एवं खसरा नं. 313 रकबा 3.02 बीघा ग्राम झिनझिनयाला तहसील बालेसर के संबंध धारा 53 एवं 188 आर.टी.एक्ट के तहत वाद प्रस्तुत कर वादग्रस्त आराजी के विभाजन एवं स्थाई निषेधाज्ञा की इस्तदुआ चाही। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 19 सितंबर 2022 को वाद प्राथमिक रूप से स्वीकार कर निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री पारित कर तहसीलदार बालेसर से विभाजन प्रस्ताव तलब किये जाने के निर्देश दिये गये। तहसीलदार बालेसर से विभाजन प्रस्ताव प्राप्त होने पर अपीलाधीन निर्णय एवं अंतिम डिक्री दिनांक 19 सितंबर 2023 पारित कर दी, जिससे व्यथित होकर अपीलांट ने आलोच्य अपील प्रस्तुत की है।

बहस सुनी गई। अधिवक्ता–अपीलाण्ट ने तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि विचारण न्यायालय द्वारा संपूर्ण कार्यवाही एकतरफा करते हुए हस्तगत मामले में बिना कोई तनकीयात कायम किये पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रेकर्ड, साक्ष्य–सबूतों का विश्लेषण किये बिना ही अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री पारित कर दी। वादग्रस्त आराजी में अपीलांट का 1/4 हिस्सा निहित है तथा मौके पर अपीलांट 1/4 हिस्से पर काबिज काश्त है। अपीलांट के पिता द्वारा अपीलांट की बिना सहमति के वादग्रस्त आराजी का बेचान किया गया है जो विधिविरूद्ध है। अपीलांट द्वारा इस बाबत विचारण न्यायालय के समक्ष काउंटर क्लेम प्रस्तुत किया गया। विचारण न्यायालय द्वारा पूर्व में अपीलांट की ओर से प्रस्तुत काउंटर क्लेम खारिज किये जाने पर अपीलांट की ओर से माननीय न्यायालय के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई जो माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक 03.06.2022 को खारिज कर दी गई। अपीलांट द्वारा माननीय न्यायालय के निर्णय के विरूद्ध माननीय राजस्व मण्डल के समक्ष निगरानी प्रस्तुत की गई, जिसमें विचारण न्यायालय का रेकर्ड तलब किया गया तथा निगरानी में आगामी पेशी मुकर्रर की गई, परन्तु विचारण न्यायालय द्वारा निगरानी के विचाराधीन रहते दिनांक 19.09.2022 को निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री जारी की गई तथा अपीलांट को साक्ष्य सबूत प्रस्तुत करने का कोई अवसर ही प्रदान नहीं किया गया। विचारण न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट नहीं हो रहा है कि विचारण न्यायालय द्वारा कब विभाजन प्रस्ताव मंगवाने हेतु तहरीर जारी की गई है तथा विभाजन प्रस्ताव कब प्राप्त हुआ है।

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

विभाजन प्रस्ताव तहसीलदार बालेसर द्वारा नियमानुसार विभाजन नियम 18 से 21 की पालना नहीं की गई है तथा न ही वक्त विभाजन अपीलांट को सूचित किया गया है। विभाजन प्रस्ताव पर केवल वादीनी का अंगुष्ठ निशान है। विभाजन प्रस्ताव पटवारी एवं भू–अभिलेख निरीक्षक द्वारा तैयार किया गया है तथा खसरा नं. 313 एवं 56 में सड़क की पूरी भूमि वादीनी के हिस्से में रख दी गई है। विचारण न्यायालय द्वारा अपीलांट को विभाजन प्रस्ताव पर आपत्तियॉ प्रस्तुत करने तथा सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री एकपक्षीय एवं प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के विपरीत पारित की गई है जो अपास्त योग्य है।

अंत में अपीलांट के अधिवक्ता ने निवेदन किया कि अपील अपीलांट स्वीकार की जावे तथा अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर बालेसर द्वारा राजस्व मूल वाद संख्या 146/2011 अनवान श्रीमती समदादेवी बनाम रामचन्द्र इत्यादि में पारित निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री दिनांक 19 सितंबर 2023 को खारिज फरमाया जावे एवं मामला विधिनुसार निर्णित किये जाने हेतु विचारण न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जावे।

जवाब में रेस्पोडेंट संख्या एक के अधिवक्ता ने निवेदन किया कि विचारण न्यायालय द्वारा तहसीलदार बालेसर से नियमानुसार प्राप्त विभाजन प्रस्ताव के आधार पर उभय पक्ष को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए विधिसम्मत निर्णय एवं अंतिम डिक्री पारित की गई है। वादग्रस्त आराजीयात मौके पर एक चक के रूप में अवस्थित है तथा बीच में सें सड़क निकलती है। विभाजन प्रस्ताव में अपीलांट के आवागमन हेतु मुख्य सड़क पर अपीलांट के हिस्से में भूमि रखी गई है। अतः अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील सारहीन होने से खारिज फरमायी जावे।

विद्वान राजकीय अधिवक्ता ने प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों के अनुरूप विधिसम्मत निर्णय पारित किये जाने का निवेदन किया।

बहस पर मनन किया गया एवं उपलब्ध अभिलेख का आद्योपान्त गम्भीरतापूर्वक अध्ययन किया गया। विचारण न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध विभाजन प्रस्ताव दिनांक 12.10.2022 के अवलोकन मुताबिक तहसीलदार बालेसर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम(राजस्व मण्डल) नियम 18 से 21 की पालना में नियमानुसार विभाजन प्रस्ताव तैयार किया जाना पाया जाता है तथा अपीलांट के हिस्से में रखी गई भूमि सड़क के चिपते स्थित है, जिससे उसके आवागमन में किसी प्रकार

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

की बाधा न हो। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा नियमानुसार प्राप्त विभाजन प्रस्ताव के आधार पर उभय पक्ष को सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री पारित किये जाने पाया जाता है। इन परिस्थितियों में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री में किसी प्रकार की विधिक त्रुटि नहीं पाये जाने से उसमें हस्तक्षेप किया जाना अदालत हाजा की राय में उचित नहीं है।

उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपील अपीलांट स्वीकार योग्य नहीं पाये जाने से खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर बालेसर द्वारा राजस्व मूल वाद संख्या 146/2011 अनवान श्रीमती समदादेवी बनाम रामचन्द्र इत्यादि में पारित निर्णय एवं अंतिम डिक्री दिनांक 19 सितंबर 2023 यथावत रखे जाते है। तदनुसार डिक्री पर्चा जारी हो।

निर्णय आज खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(ओमप्रकाश विश्नोई)
राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर
राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

डिक्री बसीगे अपील

अज अदालत राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर

बइजलास श्री ओमप्रकाश विश्नोई, आर.ए.एस.

2023-423RAAJodhpur2023-203RTA223 Tejaram Vs Smt. Samadadevi etc

अपीलाण्ट		**रेस्पोडेण्ट**
तेजाराम पुत्र ताराराम गोदपुत्र माणकराम उर्फ जोरावरसिंह जाति दर्जी, निवासी- ग्राम झिनझिनयाला, तहसील बालेसर, जिला जोधपुर।	ब ना म	1. श्रीमती समदादेवी पत्नी कन्हैयालाल जाति ब्राहमण, 2. रामचन्द्र पुत्र ताराराम 3. मोहनलाल पुत्र ताराराम 4. शिवलाल पुत्र ताराराम सभी जातियान् दर्जी, निवासीगण- झिनझिनयाला गोविंदा, तहसील बालेसर, जिला जोधपुर। 5. ग्राम पंचायत निम्बों का गांव, तहसील बालेसर, जिला जोधपुर। सरकार जरिये तहसीलदार बालेसर, जिला जोधपुर।

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बरखिलाफ निर्णय एवं अंतिम डिक्री दिनांक 19 सितंबर 2023 सहायक कलक्टर बालेसर राजस्व मूल वाद संख्या 146/2011 श्रीमती समदादेवी बनाम रामचन्द्र इत्यादि

दावा बाबत

यह अपील बतारीख 06 फरवरी 2025 बहाजरी अधिवक्ता श्री पुष्पेन्द्रसिंह भाटी मिनजानिब अपीलाण्ट, श्री कानाराम गोदारा अधिवक्ता रेस्पो. एवं श्री दयाराम चौधरी राजकीय अधिवक्ता उपस्थित होकर हुक्म हुआ कि अपील अपीलांट स्वीकार योग्य नहीं पाये जाने से खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर बालेसर द्वारा राजस्व मूल वाद संख्या 146/2011 अनवान श्रीमती समदादेवी बनाम रामचन्द्र इत्यादि में पारित निर्णय एवं अंतिम डिक्री दिनांक 19 सितंबर 2023 यथावत रखे जाते है। खर्चा पक्षकारान् वहन करे।

(खर्चा अपील हाजा का हस्ब तफसील जेल तादादी मुबलिग ---00---) रूपये ------00-------- अदा करें। खर्चा मुकदमा मातहत का ----00------ अदा करें।

बसब्त मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत हाजा तारीख 06 फरवरी 2025 को जारी किया गया।

(ओमप्रकाश विश्नोई)
राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

खर्चा अपील

अपीलाण्ट	राशि	रेस्पोडेण्ट	राशि
1. स्टाम्प अपील 2. स्टाम्प चकालतनाम 3. इजराय हुक्मनामा 4. वकील फीस बाबत मीजान	/	1. स्टाम्प वकलातनामा 2. स्टाम्प अर्जी 3. इजराम हुक्मनामा 4. मेहनताना वकील मीजान	/

(ओमप्रकाश विश्नोई)
राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर